न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– हरि राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–43/2018 **(223 आर.टी.एक्ट)**

उनवान

1. हबलू पुत्र श्री सरवण,
2. अशोक पुत्र श्री झण्डू,
3. सुगनी पुत्री श्री रामस्वरूप जाति मीणा निवासी ग्राम बहडकोकला तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान।

..... अपीलांटस

बनाम

1. रामसहाय पुत्र श्री नारायण जाति बैरवा निवासी ग्राम बहडकोकला तहसील रैणी जिला अलवर राजस्थान

.....असल रेस्पो0

2. सब रजिस्ट्रार रैणी जिला अलवर राजस्थान।
3. तहसीलदार रैणी जिला अलवर राजस्थान

.....तरतीबी रेस्पोडेण्टान

उपस्थित :–
1. श्री अजीत यादव, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री विक्रांत माथुर, अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–28.02.2020

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि असल रेस्पो0 वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ में एक दावा बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी खसरा नंबर 88/0.30, 91/0.30, 211/0.83 वाके ग्राम बहडकोखुर्द तहसील रैणी में स्थित है। उक्त आराजी पक्षकारान की सहखातेदारी की आराजी है जिस पर पक्षकारान सामलांत में काश्त करते चले आ रहे हैं। आराजी का बंटवारा नही हुआ है। अब आराजी के कब्जेकाश्त को लेकर खातेदारान में विवाद रहता है जिसके लिये आराजी का बंटवारा किया जाना आवश्यक है। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा को डिक्री किये जाकर पक्षकारान में मुताबिक हिस्सा हाल

रिकार्ड अच्छी में से अच्छी, बुरी में से बुरी का विभाजन कर खाता पृथक–पृथक करने हेतु एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 01.06.2017 को दावा डिक्री कर पक्षकारान को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि वो एक दूसरे के हिस्से की आराजी में कार्यकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत नही करें। जिस निर्णय से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत अदालत ने निर्णय व अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य व दस्तावेज प्रस्तुत करने का अवसर भी नही दिया। मुकदमा तहत अदालत में वास्ते तलबी पक्षकारान नियत चल रहा था। तहत अदालत से जारी लोक अदालत कैम्प नोटिस की कोई व्यक्तिगत विधि सम्यक तामील हम अपीलांटस को नही हुई। तहत अदालत ने एकपक्षीय निष्कर्ष निकालते हुये, अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री विधिक प्रकिया एवं प्रावधानों के विपरीत पारित की है। हाल आराजी खसरा नंबर 88/0.30, 91/0.30, 211/0.83 वाके ग्राम बहडकोखुर्द तहसील रैणी में स्थित है। जिस सहखातेदार का जिस स्थान पर कब्जा रहा है वह विभाजन में उसको नही दिया गया है। जिस कारण अब असल रेस्पो0 आराजी पर मौके कब्जे के विपरीत कब्जा लेने की कोशिश में है। तहसीलदार द्वारा कुरेजात कायम करते समय विभाजन नियम 18 से 21 की पालना नही की गई है। तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर कोई कुरेजात तैयार नही किये गये ना ही हम अपीलांटस की सहमति ली गई। ना हस्ताक्षर कराये गये। समस्त कार्यवाही असल रेस्पो0 से साजबाज होकर की गई है। जिस स्थान पर जिस सहखातेदार का कब्जा है, वह उसको विभाजन नही दिया गया है। असल रेस्पो0 को अधिक कीमती आराजी दी गई है, हम अपीलांटस को कम कीमती भूमि दी गई है। विवादित आराजी का सह खातेदारान के मध्य आपसी सहमति से बाहमी विभाजन दावा दायरी से पूर्व ही हो चुका था। जिस तथ्य को छुपाकर असल रेस्पो0 द्वारा तहत अदालत में वाद प्रस्तुत किया गया। असल रेस्पो0 विवादित आराजी का कोई विभाजन कराने का अधिकारी नही है।तहत अदालत में अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 व विभाजन नियमों के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 01.06.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ अपास्त फरमाया जावे।

जवाब में अभिभाषक रेस्पो0 का बहस में कथन है कि तहत अदालत के आदेश दिनांक 22.12.09 से प्रारंभिक पर्चा डिक्री तैयार करने के आदेश हुये थे। तत्पश्चात इसकी अपील माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के यहां की गई। पत्रावली वहां अदम हाजरी में दिनांक 21.03.2013 में खारिज होकर पुनः तहत अदालत को प्राप्त हुई। तहत

अदालत द्वारा विधिवत सुनवाई करते हुये 01.06.2017 को अंतिम डिक्री पारित की है, जो विधिवत सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2017 का अवलोकन किया।

तहत अदालत में आदेशिका दिनांक 04.11.2016 के अनुसार पत्रावली तलबी में नियत थी। तत्पश्चात प्रकरण दिनांक 01.06.2017 को लोकअदालत/कैम्प कोर्ट में निर्णीत किया गया है। तहत अदालत की आदेशिका एवं निर्णय दिनांक 01.06.2017 से स्पष्ट है कि आदेश बिना आपसी सहमति/राजीनामा से किया गया है। लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट में केवल आपसी सहमति/राजीनामे के आधार पर ही प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है। तहत अदालत द्वारा बिना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खण्ड 53 के नियम 18–21 की पालना करते हुये प्रकरण को अंतिम रूप से डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 01.06.2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहत अदालत में इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि विधिवत पक्षकारों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करते हुये, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खण्ड 53 के नियम 18–21 की पालना सुनिश्चित करवाते हुये विधिक प्रकिया अपनाते हुये गुणावगुण पर पुनः अपना निर्णय पारित करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ में दिनांक 16.04.2020 को उपस्थित हों।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(हरि राम मीना)
28.2.20
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर